

सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय,
(भारत सरकार),
निर्माण भवन, सातवीं मंजिल, भोलाभा आजाद रोड,
नई दिल्ली-११००११

Micro, Small and Medium Enterprises

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम

MINISTRY OF MICRO, SMALL, & MEDIUM ENTERPRISES
Government of India
Bhawan Bhawan, 7th Floor, Bhola Bhai Azad Road
New Delhi 110011

क्र.स.30

D-341

16-11-09

Ph. EPABX-23022220, 23022211, 23022212, 23022202 FAX: - (91-11)-23062315, 23061726, 23061063, e-mail- de-msme@nic.in, de@msmeindia.gov.in

16(20)(1))/2009-एमएसएमई नीति

दिनांक 03.11.09

सेवा में,

विकास आयुक्त (उद्योग),

उद्योग निदेशालय, न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग,

अप्रोजिट भवन, मुम्बई -400032.

3 NOV 2009

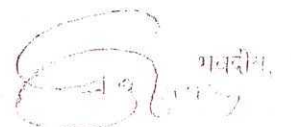
विषय: एम एस एम ई डी अधिनियम 2006 के अन्तर्गत ई०एम० फाइल करने के संबंध में ।

महोदय,

बाम्बे स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन, मुम्बई ने इस कार्यालय को अभ्यावेदन भेजा है कि महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड (MSEB) के द्वारा उनके एक सदस्य उद्यम पर 'उद्योग' के स्थान पर 'उद्यम' शब्द (जैसा कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में प्रदत्त किया गया है) के प्रयोग करने के कारण, इस आधार पर अर्थ दण्ड लगाया है कि विद्युत कनेक्शन 'उद्योग' के लिए था न कि 'उद्यम' के लिए ।

2. सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में विनिर्माण क्षेत्र के साथ-साथ सेवा क्षेत्र में लगे प्रतिष्ठानों के लिए 'उद्यम' शब्द का प्रयोग किया गया है । इसलिए, वर्तमान शब्दावली "विनिर्माणकारी उद्यम" (Manufacturing Enterprise) को उद्योग अथवा औद्योगिक उपक्रम शब्द, जो कि पहले लघु उद्योग की परिभाषा में प्रयोग किया जाता था, के समतुल्य माना जाना चाहिए । सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में सेवा क्षेत्र में लगे प्रतिष्ठानों को 'सेवा उद्यम' के रूप में निरूपित किया गया है ।

3. उपरोक्त के परिपेक्ष्य में, निवेदन किया जाता है कि इस तथ्य को महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड (MSEB) एवं राज्य सरकार के अन्य सभी विभागों/उपक्रमों के संज्ञान में, राज्य स्तर के साथ-साथ जिला स्तर पर, लाया जाए ताकि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को भविष्य में होने वाली इस प्रकार की कठिनाईयों से बचाया जा सके तथा राज्य सरकार के सभी विभागों के साथ-साथ वित्त संस्थानों द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के संबंधन एवं विकास के लिए सभी प्रामाणिक (bonafide) राशियों प्रदान की जाए ।

 भवदीय,

(पी०के० शिन्हा)

उप निदेशक (एमएसएमई नीति)

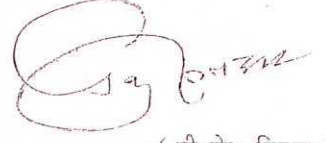
प्रतिलिपि :

1. प्रधान सचिव/सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मामलों के प्रभारी, सभी राज्य/राज्य शासित क्षेत्र -सभी राज्य/राज्य शासित क्षेत्र द्वारा समान कार्यावाही करने के अनुरोध के साथ ।
2. अध्यक्ष, नाबार्ड, मुम्बई ;
3. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सिडबी, लखनऊ ;
4. अध्यक्ष, भारतीय बैंक संघ, मुम्बई ;

पृष्ठ 2 पर जारी

::2::

5. उप गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई ;
6. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, वाणिज्य बैंक एवं वित्तीय संस्थान, राज्य वित्तीय निगम सहित-डाक सूचि अनुसार;
7. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनएसआईसी, नई दिल्ली ;
8. आयुक्त/निदेशक (उद्योग/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मामलों के प्रभारी, सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्र ;
9. निदेशक/उपनिदेशक प्रभारी, एमएसएमई डी आई/ शाखा एमएसएमई डी आई, सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्र;
10. अध्यक्ष, एमएसएमई एसोसिएशनस्, डाक सूचि अनुसार;
11. अध्यक्ष, आई सी ए आई, पो० ब० न० 7100, आई सी ए आई भवन, आई पी इस्टेट, नई दिल्ली - 110104
12. बाबू स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज एसोशिएशन, मार्फत मै० भारत ट्रेडर, बी-20, गिराज औद्योगिक इस्टेट, महाकाली कव्यज मार्ग, अन्वेषी इस्ट, मुम्बई--- सूचनार्थ ।

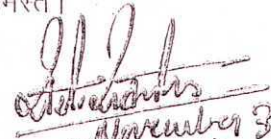


(पी०के० सिन्हा)

**कार्यालय आयुक्त, उद्योग विभाग, उद्योग भवन,
तिलक मार्ग, राजस्थान, जयपुर ।**

क्रमांक: एफ 15 (1) आयु.उ./ई.एम.अनु./एमएसएमई -नीति/2009 दिनांक: 30 NOV 2009
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, समस्त ।
2. सहायक निदेशक/जिला उद्योग अधिकारी, जिला उद्योग उप केन्द्र, समस्त ।
3. फंक्शनल अधिकारी (मुख्यालय) समस्त ।
4. मास्टर फाइल



30 November 2009
संयुक्त निदेशक, उद्योग

16(20)/1/2009-MSME POL

Dated 05.11.2009

The Development Commissioner (Industries),
Government of Maharashtra,
Directorate of Industries,
New Administrative Building,
Opp. Mantralaya,
Mumbai-400032

Subject:- Filing of EM under MSMED Act 2006-reg.

Sir,

Bombay Small Scale Industries Association (BSSIA), Mumbai has represented in this office regarding penalty imposed by the Maharashtra State Electricity Board (MSEB) on one of their member enterprise due to the use of the term "enterprise" (as provided for in MSMED Act 2006) in place of "industry", on the ground that the connection was for an "Industry" and not for "Enterprise".

2. The MSMED Act 2006 uses the terminology "Enterprise" for the establishments engaged in manufacturing sector as well as in service sector. Therefore, present terminology "manufacturing enterprise" should be considered as equivalent to the term "industry" or industrial undertaking, which was used earlier in the definition of small-scale industry. The establishments engaged in services are termed as "Service Enterprises" in the MSMED Act 2006.

3. In view of the above, it is requested that this fact may kindly be brought to the notice of MSEB and all other state government departments/undertakings at State as well as district level in order to avoid any such problem to MSMEs in future and all bonafide assistance may please be provided to micro small and medium enterprises by all the State Government departments as well as by financial institutions for their promotion and development.

Yours faithfully,



(P.K. Sinha)

Dy. Director (MSME Pol.)

Copy to:

1. Principal Secretaries/ Secretaries, I/c of matters of MSMEs, All States/UTs-
With a request for similar action in the States/UTs.
2. Chairman, NABARD, Mumbai,
3. Chairman & Managing Director, SIDBI, Lucknow,
4. Chairman, Indian Bank Association, Mumbai,

.....contd.2/-

5. Dy. Governor, RBI, Mumbai,
6. Chairman & Managing Directors, Commercial Banks and Financial Institutions including State Financial Corporations as per mailing list,
7. Chairman & Managing Director, NSIC, New Delhi,
8. Commissioner/Director of Industries/ I/c of matters of MSMEs, All States/UTs,
9. Director/Dy. Director, I/c MSME DIs/ Br. MSME DIs, All States/UTs,
10. President, Associations of MSMEs, as per mailing list.
11. President, ICAI, P.B. No. 7100, ICAI Bhavan, IP Estate, New Delhi-110104
12. The President, Bombay Small Scale Industries Association (BSSIA), C/o M/s Bharat Traders, B-20, Giriraj Industrial Estate, Mahakall Caves Road, Andheri East, Mumbai -for information



(P.K. Sinha)